

रिपोर्ट करने योग्य

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में
आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार
आपराधिक अपीलीय संख्या 1890 /2014

बी. एस. हरि कमांडेंट

... अपीलकर्ता

बनाम

भारत का संघ & अन्य

... प्रतिवादी

आर1: भारत संघ, गृह मंत्रालय

आर2: महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल

आर3: श्री टी. कोरेया.

निर्णय

अहसानउद्दीन अमानुल्लाह, (जे.)

पक्षों के लिए, अधिवक्ता को सुना।

2. अपीलकर्ता (मूल रिट याचिकाकर्ता) द्वारा प्रस्तुत आपराधिक रिट याचिका संख्या 03/1997 (इसके बाद इसे "उच्च न्यायालय" कहा जाएगा) को खारिज करने वाले अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 19.02.2010 (इसके बाद इसे "आक्षेपित निर्णय" के रूप में संदर्भित किया गया है) [2010 एससीसी

ऑनलाइन पी एंड एच 2558] के खिलाफ निर्देशित है। आदेश दिनांकित 29.08.2014 के माध्यम से अनुमति दी गई थी।

वास्तविक तथ्य:

3. अपीलकर्ता 09.02.1964 पर भारतीय सेना में शामिल हुआ। उन्हें 04.06.1969 पर सीमा सुरक्षा बल (इसके बाद "बल" के रूप में संदर्भित) में एक सहायक कमांडेंट के रूप में शामिल किया गया था। इसके बाद, उन्हें बल में कमांडेंट के पद पर पदोन्नत किया गया और साथ ही कमांडेंट के पद पर चयन ग्रेड प्रदान किया गया। उन्हें लगभग 30 वर्षों की बेदाग सेवा के लिए 1994 में भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा पुलिस पदक सहित विभिन्न पदकों से सम्मानित किया गया था। बाद में, उन्हें पंजाब के ममडोट में मुख्यालय के साथ 1956 बटालियन (बी. एन.) (बी. एस. एफ.) के कमांडेंट के रूप में पंजाब में स्थानांतरित कर दिया गया।

4. 05.04.1995 को, स्थानीय पुलिस ने तलाशी ली और एसिटिक एनहाइड्राइड के कुछ जेरीकैन, जो नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (इसके बाद "एनडीपीएस एक्ट" के रूप में संदर्भित) की धारा 9ए के तहत एक नियंत्रित पदार्थ है, को पाकिस्तानी क्षेत्र में और सीमा से सटे भारतीय नागरिकों के स्वामित्व वाले खेतों में स्थित बताया गया, जिसके लिए उसी दिन स्थानीय पुलिस द्वारा पुलिस स्टेशन फिरोजपुर, पंजाब में दो व्यक्तियों लखविंदर सिंह और सुरजीत सिंह उर्फ पहलवान को अभियुक्तों के रूप में नामित करते हुए उन्हें तस्कर बताते हुए, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 92 दर्ज की गई थी।

5. 07.04.1995 को, अपीलकर्ता को प्रभार सौंपने और एस. टी. सी., बल, खारकन में जाने का निर्देश दिया गया, जहाँ उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

हालाँकि, अपीलार्थी के घर की तलाशी से किसी भी आपत्तिजनक सामग्री की बरामदगी नहीं हुई।

6. 09.04.1995 को, श्री वी. के. शर्मा की अध्यक्षता में एक सदस्यीय स्टाफ कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी का आदेश दिया गया था। कथित जाँच में, इंस्पेक्टर दीदार सिंह, जो उस क्षेत्र के, जिसके आसपास कथित जेरीकैन बरामद किए गए थे, वास्तविक और भौतिक कमान और नियंत्रण में थे, ने एक बयान दिया कि वह अपीलकर्ता के इशारे पर घटना में शामिल थे।

7. जाँच रिपोर्ट के आधार पर, अपीलकर्ता को सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (इसके बाद "बी. एस. एफ. अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 40 और 46 के तहत दिनांक 04.07.1995 को आरोप पत्र जारी किया गया था। यद्यपि उपरोक्त आरोपों को हटा दिया गया।

8. इसके पश्चात अपीलकर्ता 31 वर्ष, 6 महीने और 22 दिनों तक बल में सेवा प्रदान करने के बाद 31.08.1995 पर सेवानिवृत्त हो गया।

9. 20.10.1995 को, अपीलकर्ता को तीन आरोपों वाला एक नया आरोप पत्र दिया गया था। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 25 के उल्लंघन में किए गए नागरिक अपराध के लिए बीएसएफ अधिनियम की धारा 46 के तहत दो आरोप और बीएसएफ अधिनियम की धारा 40 के तहत एक आरोप था। अपीलकर्ता के विरुद्ध विचारण एक सामान्य सुरक्षा बल न्यायालय (जिसे इसके बाद "जी. एस. एफ. सी." के रूप में संदर्भित किया गया है) बुलाकर शुरू किया गया।

10. अपीलकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 (इसके बाद "संविधान" के रूप में संदर्भित) का उपयोग करते हुए, जी. एस. एफ. सी. के क्षेत्राधिकार पर सवाल उठाने वाले अपने आवेदन की अस्वीकृति के विरुद्ध

उच्च न्यायालय के समक्ष 1995 की रिट याचिका संख्या 16008 दायर की, जिसे 18.01.1996 पर खारिज कर दिया गया था।

11. इस बीच, एफ़ आई आर नंबर 92 दिनांक 05.04.1995 (ऊपर वर्णित) में एक आरोपी कथित तस्कर, सुरजीत सिंह उर्फ पहलवान, ने 1996 की आपराधिक विविध संख्या 10562-एम के माध्यम से उच्च न्यायालय का रुख किया, जिसमें उसके विरुद्ध प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की गई। इस आधार पर तर्क दिया कि कथित घटना की तिथि को, सुरजीत सिंह उर्फ पहलवान को अमृतसर की केंद्रीय जेल में रखा गया था और वह अपराध में शामिल नहीं हो सकता था। उक्त याचिका को 01.11.1996 के आदेश के माध्यम से अनुमति दी गई थी।

12. 10.04.1996 को, जी. एस. एफ. सी. ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें अपीलकर्ता को पहले आरोप के लिये दोषी नहीं पाया गया बल्कि दूसरे और तीसरे आरोपों के लिए दोषी पाया। इसने उन्हें 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई; 1,00,000- रुपये का जुर्माना लगाया और उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया। पुष्टि करने वाले अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की।

13. अपीलकर्ता द्वारा उसके दोषसिद्धि और सजा के विरुद्ध वैधानिक याचिका 15.05.1996 को दायर की गई थी। चूंकि संबंधित प्राधिकारी द्वारा इसका निर्णय नहीं लिया जा रहा था, इसलिए अपीलकर्ता ने 1996 की सिविल रिट याचिका संख्या 13020 के माध्यम से उच्च न्यायालय का रुख किया, जिसका निपटारा दिनांक 28.08.1996 के आदेश द्वारा किया गया, जिसमें प्रतिवादी-प्राधिकरण को दो महीने की अवधि के भीतर वैधानिक याचिका का निपटारा करने का निर्देश दिया गया।

14. इसके अनुसार, प्रतिवादी -प्राधिकरण ने 02.11.1996 की अपीलकर्ता की वैधानिक याचिका को खारिज कर दिया। इस आलोक में, अपीलकर्ता ने अपने मुकदमे और उसमें विवादित आदेश को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष 1997 की आपराधिक रिट याचिका संख्या 3 दायर की, साथ ही सभी परिणामी आदेशों को रद्द करने और अपीलकर्ता को पेंशनभोगी और अन्य लाभों को जारी करने के निर्देश देने की भी मांग की।

15. 19.09.1997 [1997 SCC ऑनलाइन P & H 1176] को, अपीलकर्ता को उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दी गई थी और वह 19.09.1997 से 19.02.2010 तक जमानत पर रहा।

16. इस बीच, अन्य सह-अभियुक्त अर्थात् लखविंदर सिंह को किसी भी सबूत की अनुपस्थिति में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आरोपमुक्त कर दिया था।

17. उच्च न्यायालय ने 19.02.2010 पर 1997 की आपराधिक रिट याचिका संख्या 3 को खारिज कर दिया, जो कि विवादित निर्णय है।

अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुतियाँ:

18. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि जहां तक आरोप संख्या 1 से संबंध है, अर्थात्, लखविंदर सिंह को अपने नियंत्रण में बी. ओ. पी. बैरक के सीमा बाड़ द्वार संख्या 205 के माध्यम द्वारा भारत से पाकिस्तान तक प्रत्येक 40 लीटर एसिटिक एनहाइड्राइड के 30 जेरीकैन निकालने के लिए 9/10 मार्च, 1995 की दरम्यानी रात को जानबूझकर अनुमति देने से संबंध है, यह अपीलकर्ता के विरुद्ध साबित नहीं हुआ था।

19. हालाँकि, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आरोप संख्या 2, जो कि समान थी, तिथि 4/5 अप्रैल, 1995 थी, जानबूझकर दो तस्करों को अपने नियंत्रण में बी. ओ. पी. बैरक के सीमा बाड़ द्वार संख्या 205 से 40-40 लीटर के एसिटिक एनहाइड्राइड के 44 जेरीकैन भारत से पाकिस्तान ले जाने की अनुमति दी थी, जिसे जी. एस. एफ. सी. द्वारा साबित माना गया है, स्पष्ट रूप से अस्थिर है क्योंकि एक आरोपी सुरजीत सिंह उर्फ पहलवान को उच्च न्यायालय द्वारा इस आधार पर राहत दी गई थी कि उन्हें उक्त तिथि पर केंद्रीय अमृतसर जेल रखा गया था, यद्यपि दूसरे सह-आरोपी लखविंदर सिंह को भी किसी सबूत के अभाव में विचारण न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया था। इस प्रकार, विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, दो व्यक्तियों जिनके बारे में कहा गया है कि वे जेरीकैन को ले गए और उनको रिहा कर दिया गया था, अपीलकर्ता के विरुद्ध मामला स्वतः ही विफल हो जाता है। जहाँ तक आरोप संख्या 3 का संबंध है, कि नवंबर, 1994 और अप्रैल, 1995 के बीच बल की 67वीं बटालियन के कमांडेंट के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान मामडोट में सेना की अच्छी व्यवस्था और अनुशासन के आदेश जानबूझकर प्रतिकूल कार्य करना और भारत से प्रतिबंधित वस्तुओं की कथित तस्करी को सुविधाजनक बनाने के आदेश अपनी इकाई के सूबेदार दीदार सिंह को अनुचित रूप से प्रभावित करना, स्पष्ट रूप से इस कारण से स्थापित नहीं है कि यह उक्त दीदार सिंह (जो उनके अधीनस्थ थे और उस क्षेत्र के वास्तविक प्रभारी थे, जहां कथित गतिविधि हुई थी) के बयान पर था, उन्होंने स्पष्ट रूप से खुद को स्पष्ट और गंभीर परिणामों से बचाने के आदेश एक बयान दिया है, जो निहित होता। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि यह अपीलकर्ता के वरिष्ठ अधिकारियों के कहने पर भी हो सकता है, क्योंकि इसकी वास्तविक आशंका थी, क्योंकि अपीलकर्ता ने पहले एक अवसर पर अपने नियंत्रक अधिकारी को उपकृत

करने से अस्वीकार कर दिया था। यह तर्क दिया गया कि विचारण अपने आप में एक अमान्य था क्योंकि बी. एस. एफ. अधिनियम में एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत जी. एस. एफ. सी. द्वारा अपराधों का विचारण चलाने की परिकल्पना नहीं की गई है और इसने अपीलकर्ता के विरुद्ध विचारण शुरू करने के लिए केंद्र सरकार से आवश्यक मंजूरी भी प्राप्त नहीं की है जैसा कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 59 (3) के तहत और शर्तों के अनुसार आवश्यक है। यह भी तर्क दिया गया कि बी. एस. एफ. नियम, 1969 का नियम 102 (जिखंड इसके बाद "नियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) प्रदान करता है कि उन सभी अपराधों के संबंध में मात्र एक सजा दी जाएगी जिनके लिए अभियुक्त दोषी पाया जाता है। हालाँकि, वर्तमान मामले में तीन दंड दिए गए थे, जो बी. एस. एफ. अधिनियम खंड 48 के साथ पढ़े गए नियमों के नियम 102 का उल्लंघन करते हैं।

20. विद्वान अधिवक्ता का यह प्रस्तुतीकरण था कि सेवा से बर्खास्तगी की सजा भी अवैध है क्योंकि अपीलकर्ता 31.08.1995 को सेवानिवृत्त हो गया, यहाँ तक कि प्रश्नगत आरोप पत्र जारी होने से पहले ही और इस प्रकार सेवा से बर्खास्तगी की कोई सजा नहीं हो सकती है, जो नियमों के नियम 166 से स्पष्ट की गई है, जिसमें कहा गया है कि बर्खास्तगी की सजा ऐसी सजा की घोषणा की तिथि से या किसी भी पश्चात की तिथि से प्रभावी होगी जो घोषणा के समय निर्दिष्ट की जा सकती है, जो वर्तमान मामले में अपीलकर्ता की सेवा से सेवानिवृत्ति के काफी पश्चात है। इसी तरह, यह तर्क दिया गया कि एक बार पहला आरोप पत्र दिनांक 04.07.1995 को हटा दिया गया, जाहिर तौर पर अपर्याप्त सबूतों के लिए, अपीलकर्ता को नियमों के नियम 59 (1) (i) के तहत आरोपमुक्त किया जाना आवश्यक था और इस प्रकार, दूसरा आरोप पत्र दिनांक 20.10.1995 अवैध है क्योंकि नियमों के अध्याय VIII में बीएसएफ

अधिनियम और नियमों के तहत कोई दूसरा आरोप पत्र जारी करने पर विचार नहीं करता है। यह प्रस्तुत किया गया था कि नियम विशेष रूप से आरोप पत्र में संशोधन का प्रावधान करते हैं, यानी जी. एस. एफ. सी. द्वारा आरोप पत्र में वृद्धि, चूक या परिवर्तन; जबकि तत्काल मामले में, अतिरिक्त डी. आई. जी. द्वारा एक पूरी तरह से नया आरोप पत्र जारी किया गया था, जो प्रभावी रूप से, एक दूसरे विचारण के समान है जो बी. एस. एफ. अधिनियम की धारा 75 के तहत निषिद्ध है।

21. अपीलकर्ता की पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य लाभों को रोकने के मुद्दे पर, यह प्रस्तुत किया गया था कि पहले से ही 31.08.1995 को सेवानिवृत्त होने के बाद, इसे रोकने का कोई अधिकार बल में निहित नहीं था और इस तरह की अहंकारी और मनमानी कार्रवाई के कारण, अपीलकर्ता, जो अब लगभग 82 वर्ष का हो गया है और लगभग 28 वर्ष पहले सेवानिवृत्त हो गया है, बहुत खराब वित्तीय स्थिति में है और अपने दैनिक जरूरतों और चिकित्सा खर्चों के लिए कोई साधन नहीं होने के कारण खुद का भरण-पोषण करने में असमर्थ है।

22. विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि न तो बी. एस. एफ. अधिनियम और न ही नियमों में बी. एस. एफ. अधिनियम की धारा 48 (1) (के) और 48 (1) (एल) के तहत कोई विशिष्ट आदेश के बिना सेवानिवृत्ति के पश्चात किसी भी सेवानिवृत्त व्यक्ति की पेंशन, ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण और अन्य बकाया/लाभों को रोकने की कल्पना की गई है, जो वर्तमान मामले में स्वीकृत रूप से पारित नहीं किया है। अन्यथा भी यह तर्क दिया गया था कि पेंशन रोकना केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 (इसके बाद "पेंशन नियम" के रूप में संदर्भित) के नियम 9 का उल्लंघन है, जिसमें यह प्रावधान है कि मात्र भारत के माननीय राष्ट्रपति ही किसी कर्मचारी की पेंशन रोक सकते हैं।

23. इस तरह के विवाद के समर्थन में, झारखंड राज्य बनाम जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव, (2013) 12 एस. सी. सी. 210 में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया गया था, प्रासंगिक पैराग्राफ संख्या 16 में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि किसी व्यक्ति को कानून के अधिकार के बिना उसकी पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता है, जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 ए में निहित संवैधानिक जनादेश है, और अग्रेतर, वीणा पांडे बनाम भारत संघ, (2022) 2 एस. सी. सी. 379 में, प्रासंगिक पैराग्राफ संख्या 10 में है, जहां यह अभिनिर्धारित किया गया था कि पेंशन लंबे वर्षों की सेवा प्रदान करने के लिए मुआवजे का आस्थगित हिस्सा है और यह एक कर्मचारी को प्राप्त होने वाली मेहनत से अर्जित लाभ है और इसे सम्पत्ति की प्रकृति में माना गया है। हम ध्यान देते हैं कि अपीलकर्ता ने विभिन्न प्राधिकरणों को अपने बकाया को जारी करने या आदेश की एक प्रति जिसके द्वारा उन्हें रोक दिया गया है, के लिए अभ्यावेदन संबोधित किए थे, जल्दी सुनवाई की मांग करते हुए आवेदन के साथ दायर किया यानी पृष्ठ 16-17 पर सी. आर. एल. एम. पी. सं. 74756/2021।

24. यह भी प्रस्तुत किया गया कि जहां तक एसिटिक एनहाइड्राइड का संबंध है, यह न तो एक मादक दवा है और न ही एक मनोदैहिक पदार्थ है, बल्कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 9ए के तहत मात्र एक नियंत्रित पदार्थ है, जिसे एनडीपीएस अधिनियम की धारा 25ए के तहत दंडनीय है।

25. संक्षेप में, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि बी. एस. एफ. अधिनियम और नियमों के अन्य वैधानिक प्रावधानों का भी उल्लंघन हुआ है और विचारण के दौरान प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं थे।

प्रतिवादियों की प्रस्तुतियाँ:

26. इसके विपरीत, प्रतिवादी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने चुनौती के तहत निर्णय का समर्थन किया। यह प्रस्तुत किया गया था कि अपीलकर्ता पर अलग से मुकदमा चलाने में कोई कमजोरी नहीं थी क्योंकि उस पर एन. डी. पी. एस. अधिनियम और एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 25 के साथ पठित बी. एस. एफ. अधिनियम की धारा 40 और 46 के तहत आरोप लगाया गया था।

27. यह तर्क दिया गया कि सूबेदार दीदार सिंह पर जी. एस. एफ. सी. द्वारा मुकदमा चलाया गया और उन्हें दोषी ठहराया गया और पेंशन के उद्देश्य से दस साल की सेवा को जब्त करने और गंभीर फटकार की सजा सुनाई गई। एन. के. सतपाल पर जी. एस. एफ. सी. द्वारा मुकदमा चलाया गया और उन्हें लांस नाइक (एल/एन. के.) के पद से हटा दिया गया, और कांस्टेबल केशव सिंह पर जी. एस. एफ. सी. द्वारा मुकदमा चलाया गया और उन्हें 45 दिनों के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। यह तर्क दिया गया था कि अपीलकर्ता दो कथित तस्करों की रिहाई द्वारा लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है क्योंकि उन पर प्रतिबंधित पदार्थ को उस स्थान पर रखने के अपराध का आरोप लगाया गया था जहां से इसे बरामद किया गया था, जबकि अपीलकर्ता पर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 25 के तहत आरोप लगाया गया था। यह प्रस्तुत किया गया था कि निषिद्ध वस्तुओं को बल द्वारा नियंत्रित क्षेत्र के बाहर, जो अपीलार्थी के समग्र नियंत्रण में था, पाकिस्तानी पक्ष में बिना उन द्वारों द्वारा गुजरे, जो बल के कर्मियों द्वारा संचालित थे, नहीं ले जाया जा सकता था। इसके अग्रेतर यह प्रस्तुत किया गया कि सुरजीत सिंह उर्फ पहलवान को संबंधित प्राथमिकी को रद्द करके राहत दी गई थी, क्योंकि वह घटना की तिथि को जेल में कैद होने को साबित करने में सक्षम था।

28. विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता द्वारा प्राप्त गुप्त जानकारी के अनुसार, एसिटिक एनहाइड्राइड के जेरीकैन को दो तस्करों द्वारा बल के अधिकारियों की मदद से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पास रखा गया था और भले ही उक्त दो व्यक्ति प्रमुख अपराधी थे, इस तरह के आंदोलन में सहायता करने में अपीलकर्ता और बल के अन्य अधिकारियों/कर्मियों की भूमिका स्पष्ट रूप से स्थापित की गई थी। यह प्रस्तुत किया गया था कि अपीलकर्ता क्षेत्र के समग्र नियंत्रण में था और इसलिए, यहाँ पहले वर्णित घटनाओं के लिए जिम्मेदार है।

29. पेंशन, ग्रैच्युटी और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों को रोके जाने के प्रश्न पर, प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता को जी. पी. एफ. और सी. जी. ई. आई. एस. का भुगतान किया गया था। इसके अग्रेतर बचाव में यह कहा गया था कि उन्हें पेंशन नियमों के नियम 69 के तहत अस्थायी पेंशन का भी भुगतान किया गया था, और बाद में ही, पेंशन नियमों के नियम 24 का सहारा लेते हुए इसे रोक दिया गया था, क्योंकि सेवा से बर्खास्तगी में पिछली सेवा को जब्त करना शामिल है।

विश्लेषण, कारण और निष्कर्ष:

30. अभिलेख पर सामग्रियों का अवलोकन करने और प्रासंगिक न्यायिक घोषणाओं का सर्वेक्षण करने के बाद, समग्र रूप से जांच करने पर, यह न्यायालय उच्च न्यायालय की विद्वान एकल पीठ द्वारा अपनाए गये दृष्टिकोण को बरकरार रखने में असमर्थ है।

31. प्रक्रिया और/या विचारण में प्रक्रियात्मक कमियों, जिन्हें अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचार किया गया है, को जानबूझकर दूर नहीं किया गया है। इस पर कोई मत नहीं व्यक्त करते हुए, हम कानून के उन प्रश्नों को

अधिक उपयुक्त मामले में निर्णय के लिए खुला छोड़ते हैं, क्योंकि हम गुण-दोष पर हस्तक्षेप कर रहे हैं।

32. सिविल सेवा संघ परिषद बनाम सिविल सेवा मंत्री, [1984] 3 डब्ल्यूएलआर 1174 (एचएल) में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने लॉर्ड डिप्लॉक के माध्यम द्वारा बोलते हुए कहा:

"..... मुझे लगता है कि न्यायिक समीक्षा आज एक ऐसे चरण में विकसित हुई है जब विकास के लिए उठाए गए कदमों के किसी भी विश्लेषण को दोहराये बिना, कोई भी व्यक्ति आसानी से तीन शीर्षों के तहत उन आधारों को वर्गीकृत कर सकता है जिनके आधार पर प्रशासनिक कार्रवाई न्यायिक समीक्षा द्वारा नियंत्रण के अधीन है। पहला आधार जिसे मैं 'अवैधता', दूसरा 'तर्कहीनता' और तीसरा 'प्रक्रियात्मक अनौचित्य' कहूंगा। इसका मतलब यह नहीं है कि मामले-दर-मामले के आधार पर आगे का विकास समय के साथ और आधार नहीं जोड़ सकता है। मेरे मन में विशेष रूप से भविष्य में 'आनुपातिकता' के सिद्धान्त को संभावित रूप से अपनाने की बात है जिसे यूरोपीय आर्थिक समुदाय के हमारे कई साथी सदस्यों के प्रशासनिक कानून में मान्यता प्राप्त है;"

(जोर दिया गया)

33. भगत राम बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य, (1983) 2 एस. सी. सी. 442 में यह राय दी गई थी:

"15. यह भी उतना ही सच है कि लगाया गया जुर्माना कदाचार की गंभीरता के अनुरूप होना चाहिए और कदाचार की गंभीरता से असंगत कोई भी जुर्माना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा।

(जोर दिया गया)

34. रंजीत ठाकुर बनाम भारत संघ, (1987) 4 एस. सी. सी. 611 में, इस न्यायालय ने, वहां की परिस्थितियों में, पैराग्राफ नं. 27 पर टिप्पणी की, वह:

"..... सजा इतनी आश्चर्यजनक रूप से अनुपातहीन है कि हस्तक्षेप की मांग और औचित्य को सही ठहराती है। इसे न्यायिक समीक्षा में असंशोधित रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।"

35. आंध्र प्रदेश औद्योगिक अवसंरचना निगम लिमिटेड बनाम एस. एन. राज कुमार, (2018) 6 एस. सी. सी. 410 में, इस न्यायालय ने खुलासा किया:

"20. प्रशासनिक कानून के क्षेत्र में "आनुपातिकता" एक ऐसा सिद्धान्त है जिसमें न्यायालय उस प्रक्रिया, विधि या तरीके से संबंधित है जिसमें निर्णय लेने वाले ने अपनी प्राथमिकताओं का आदेश दिया है और किसी निष्कर्ष पर पहुंचा है या किसी निर्णय पर पहुंचा है। निर्णय लेने का सार मामले में कारकों और विचारों के सापेक्ष महत्व के श्रेय में शामिल है। आनुपातिकता का सिद्धांत इस प्रकार अनुमत प्राथमिकताओं के नियम के विस्तार के अभ्यास की वास्तविक प्रकृति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कदम उठाता है [भारत संघ बनाम जी. गणयुथम, (1997) 7 एससीसी 463: 1997 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 1806]। डी स्मिथ [प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा (1995), पैरा 13.085, पीपी. 601-605; यह भी देखें, वेड: प्रशासनिक व्यवस्था (2009), पीपी. 157-158, 306-308.] में यह भी कहा गया है कि "आनुपातिकता" में "संतुलन परीक्षण" और "आवश्यकता परीक्षण" शामिल हैं। "संतुलन परीक्षण" अत्यधिक भारी दंड या अधिकारों या

हितों के उल्लंघन और प्रासंगिक विचारों के स्पष्ट असंतुलन की जांच की अनुमति देता है।”

(जोर दिया गया)

36. हम इस बात से पूरी तरह अवगत हैं कि अर्धसैनिक बलों सहित संघ के सशस्त्र बलों में अत्यधिक अनुशासन, कमान की एकता आदि अनिवार्य शर्त हैं। जैसा की कहा गया है, आनुपातिकता का सिद्धांत अभी भी प्रभावी है।

37. अपीलकर्ता के विरुद्ध प्रत्यक्ष और ठोस साक्ष्य की अनुपस्थिति में, भले ही जी. एस. एफ. सी. अपीलकर्ता के अपराध के बारे में आश्वस्त था, दी गई सजा बहुत कठोर थी, इस बात पर ध्यान देते हुए कि अपीलकर्ता, तब भी, पहली बार अपचारी होगा, न कि आदतन अपचारी। यह तर्क देते हुए कि आरोपों में सच्चाई की कुछ झलक है, हमारे विचार में दी गई सजा अनुपातहीन थी।

38. एक अन्य कारक जिसने इस न्यायालय को इसमें आनुपातिकता अन्य बातों के साथ साथ तुलना में आत्मनिरीक्षण करने के लिए प्रेरित किया है, वह यह है कि अपीलकर्ता ने बिना किसी दोष या आरोपों के साढ़े 31 वर्षों से अधिक समय तक देश की सेवा की है और अन्य बातों के साथ-साथ भारत के राष्ट्रपति से पदक सहित विभिन्न पुरस्कार प्राप्त किए हैं। अपीलकर्ता का ट्रैक रिकॉर्ड अन्यथा निर्विवाद है।

39. जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव (ऊपर) और वीणा पांडे (ऊपर) में प्रतिपादित प्रस्तावों के साथ कोई विवाद नहीं है। अन्य बातों के साथ-साथ, डी. एस. नकारा बनाम भारत संघ, (1983)) 1 एस. सी. सी. 305; पश्चिम बंगाल राज्य बनाम हरेश सी. बनर्जी, (2006) 7 एस. सी. सी. 651, और; डॉ. हीरालाल बनाम बिहार राज्य, (2020) 4 एस. सी. सी. 346 में कानून की स्थापित स्थिति को

फिर से स्थापित करने की आवश्यकता को निरस्त किया जाता है । इस न्यायालय का मानना है कि कानून के अधिकार के विपरित किसी व्यक्ति को पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता है ।

40. अगर चीजें मात्र इस तरह से होतीं, तो हम मामले को जी. एस. एफ. सी. को वापस भेजने पर विचार कर सकते थे। लेकिन, बीत चुके लंबे समय, अपीलकर्ता की उम्र और साक्ष्य संबंधी पहलू पर नीचे दिए गए हमारे निष्कर्ष को देखते हुए, हम उस कार्रवाई को अपनाने से बचते हैं।

41. कथित आपराधिकता पर, निर्विवाद और अनियंत्रित तथ्य यह है कि अपीलकर्ता एक बड़े क्षेत्र में काम कर रहे बल की कमान संभाल रहा था, जिसमें वह जगह भी शामिल है जहां से जेरीकैन कथित रूप से भारतीय सीमा से पाकिस्तानी सीमा में चले गए थे। यद्यपि यह समान रूप से विवाद में नहीं है कि क्षेत्र का वास्तविक संचालन बल के अधीनस्थ कर्मियों द्वारा किया जाता है। वर्तमान उदाहरण में, अधीनस्थ कर्मियों को दोषी ठहराया गया है, जो उनकी सक्रिय भागीदारी का संकेत देता है। मौके पर मौजूद व्यक्ति होने के नाते, यह सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिक उत्तरदायित्व थी कि उनकी निगरानी में कोई अपराध/अपराध/संदिग्ध घटना न घटित हो। इसके अलावा, अपीलकर्ता के विरुद्ध कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है।

42. उदाहरण के लिए, ऐसी स्थिति से तुलना करना अनुचित नहीं होगा जहां पुलिस अधीक्षक के क्षेत्राधिकार में कोई अपराध होता है और उससे उत्पन्न होने वाली आपराधिक कार्यवाही में, कुछ पुलिस कर्मियों को दोषी ठहराया जाता है, और उसके बाद, आयोग या चूक के ऐसे कृत्यों के आधार पर उक्त पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध एक आपराधिक मामला और विभागीय कार्यवाही भी शुरू की जाती है, इस आधार पर कि ऐसी घटना उनकी समग्र

निगरानी और नियंत्रण में हुई थी। अपराध को स्थापित करने वाली भारी सामग्री की अनुपस्थिति में, या बहुत कम से कम, उसकी निर्दोषता की संभावना को नकारता हुए, यह कर्तव्य की अवहेलना और/या सक्रिय मिलीभगत के सिद्धान्त का एक चरम और बेतुका विस्तार होगा।

43. यह न्यायालय यह जोड़ने में जल्दबाजी करेगा कि यह नहीं माना जाना चाहिए कि अपीलकर्ता, कमांडेंट होने के नाते, ऐसी घटना को रोकने की कोई जिम्मेदारी/कर्तव्य नहीं था, लेकिन वर्तमान तथ्यात्मक मैट्रिक्स को ध्यान में रखते हुए उसे इस तरह के अपराध का एक सक्रिय भागीदार और/या सहायक करार देने की सीमा तक बढ़ाना पूरी तरह से अनुचित है। विशेष रूप से, केवल सूबेदार दीदार सिंह के बयान के बल पर, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है, लेकिन आगे कहते हैं कि यह अपीलकर्ता के कहने पर और उसके निर्देश पर था - अपीलकर्ता को सजा दी गई थी।

44. मोहम्मद में. जमीलुद्दीन नासिर बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, (2014) 7 एस. सी. सी. 443, साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 10 और 30 की जांच करते हुए, यह अभिनिर्धारित किया गया था:

"144. उपरोक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ता नासिर के इकबालिया बयान की प्रासंगिकता, प्रभावकारिता और विश्वसनीयता की जब साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 और 30 की कसौटी पर जांच की जाती है, तो यह कहना होगा कि सह-अभियुक्त के इकबालिया बयान को उस व्यक्ति के अलावा किसी अन्य को दोषी ठहराने के लिए ठोस सबूत के रूप में नहीं माना जा सकता है जिसने इसके साक्ष्यात्मक मूल्य पर इकबालिया बयान दिया था। हालाँकि, इस न्यायालय के कई फैसलों में

यह अच्छी तरह से स्थापित और दोहराया गया है कि अभिलेख पर अन्य साक्ष्यों पर विचार करने के आधार पर और यदि ऐसा साक्ष्य अभियोजन पक्ष के मामले का पर्याप्त समर्थन करता है और यदि इसके लिए अतिरिक्त समर्थन की आवश्यकता है, तो सह-अभियुक्त के कबूलनामे को सेवा में लिया जा सकता है और उस पर भरोसा किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, यदि यह यथोचित रूप से विश्वास करने के लिए पर्याप्त सामग्री है कि साजिश के आधार पर अपराध करने के लिए आरोपित व्यक्तियों के बीच समन्वय और संबंध था, तो यह मायने नहीं रखता है, भले ही वे एक-दूसरे के लिए अजनबी थे और संयुक्त प्रयास से किये गये ऐसे कृत्यों में उनके द्वारा निभाई गई वास्तविक भूमिका से अनजान थे। साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 के अनुसार, जब एक ही अपराध के लिए एक से अधिक व्यक्तियों पर संयुक्त रूप से मुकदमा चलाया जा रहा है और ऐसे व्यक्तियों में से किसी एक के द्वारा की गई स्वीकारोक्ति का प्रभाव निर्माता के साथ-साथ सह-अभियुक्त पर भी पड़ता है और यह पर्याप्त रूप से साबित हो जाता है, तो न्यायालय अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध और उपरोक्त प्रस्ताव से ऐसी स्वीकारोक्ति करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भी इस तरह की स्वीकारोक्ति पर विचार कर सकता है, हम नटवरलाल सकरलाल मोदी बनाम बॉम्बे राज्य [(1963) 65 बम एलआर 660 (एससी)] और सरकार (एन. सी. टी. दिल्ली) बनाम राजपाल सिंह [2003] 10 एस. सी. सी. 586: 2004 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 933 में इस न्यायालय के निर्णयों का संदर्भ दे सकते हैं।। "

(जोर दिया गया)

45. जैसा कि यहां पहले जोर दिया गया है, अपीलकर्ता को शामिल करते हुए सूबेदार दीदार सिंह के बयान को छोड़कर, उनके विरुद्ध कोई सामग्री नहीं

है। इसलिए, बाकी सब एक समान होने पर, अपीलकर्ता को दोषी ठहराने या उसके अपराध की ओर इशारा करने यदि अन्य बातें पूर्ववत् रहें सामग्री (ओं) के बिना, अकेले किसी एक व्यक्ति के बयान के परिणामस्वरूप, इस मामले में, उसे दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए था।

46. यह न्यायालय इस बात को ध्यान में रखता है कि निकट समय में, अपीलार्थी के घर की तलाशी के परिणामस्वरूप किसी भी आपत्तिजनक दस्तावेज/वस्तुओं की बरामदगी नहीं हुई। इस तरह की गैर-वसूली से स्पष्ट रूप से अपीलार्थी को लाभ होगा।

47. साक्ष्य की अपर्याप्तता के बारे में उठाई गई याचिका पर विचार करने के बाद इनकार करते हुए, विद्वान एकल पीठ ने विवादित निर्णय के पृष्ठ 13 (19 में के बाद) पर टिप्पणी की है:

"साक्ष्य की सराहना के आधार पर सुरक्षा बल न्यायालय द्वारा किया गया निष्कर्ष रिट न्यायालय के दायरे के बाहर होगा जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय सहित विभिन्न न्यायालयों द्वारा लगातार कहा है।

48. उच्च न्यायालय को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए था कि उठाए गए मुद्दों की गंभीरता को देखते हुए, आपराधिक रिट याचिका में भी सबूतों की छान-बीन करने की शक्ति से वंचित नहीं किया गया था। नवाब शकफथ अली खान बनाम नवाब इमदाद जाह बहादुर, (2009) 5 एस. सी. सी. 162 में इस अदालत ने निर्णय दिया:

"48. यदि उच्च न्यायालय के पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत किसी अपील या पुनरीक्षण आवेदन या रिट याचिका पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र था, तो किसी दिए गए मामले में वह अन्य शर्तों को पूरा करने के अधीन, एक पुनरीक्षण आवेदन या रिट

याचिका को अपील में या अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए इसके विपरीत परिवर्तित कर सकता है। यद्यपि निर्विवाद रूप से उक्त उद्देश्य के लिए, ऐसी क्षेत्राधिकार के प्रयोग के लिए एक उपयुक्त मामला बनाया जाना चाहिए। “

(जोर दिया गया)

49. कानून के उपरोक्त कथन के साथ सम्मानजनक सहमति में, हम दोहराते हैं कि उच्च न्यायालयों को, अनुच्छेद 226 और/या 227 के तहत, अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करना है "मात्र न्यायिक विवेकाधिकार के आदेशों द्वारा जो न्यायिक अनुभव और न्यायाधीश के व्यावहारिक ज्ञान से समृद्ध हैं", जैसा कि सूर्य देव राय बनाम राम चंदर राय, (2003) 6 एस. सी. सी. 675 में उजागर किया गया है। यह मार्गदर्शक सिद्धान्त अभी भी लागू है, और राधे श्याम बनाम छवि नाथ, (2015) 5 एस. सी. सी. 423 में 3-न्यायाधीशों की पीठ ने नीचे दिए गए शब्दों में सूर्य देव राय (उपरोक्त) को मात्र आंशिक रूप से खारिज कर दिया था:

"29.1. दीवानी अदालत के न्यायिक आदेश संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।

29. 2. अनुच्छेद 227 के से क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 226 के तहत क्षेत्राधिकार से अलग है।

29. 3. सूर्य देव राय [सूर्य देव राय बनाम राम चंदर राय, (2003) 6 एस. सी. सी. 675] में विपरीत दृष्टिकोण को खारिज कर दिया गया है।

50. संविधान का अनुच्छेद 226 अन्याय को दूर करने के लिए एक सहायक है, और इस तरह की शक्ति के प्रयोग पर कोई भी सीमा, केवल स्वयं लागू की

जाती है। दूसरों के बीच, ए. वी. वेंकटेश्वरन बनाम रामचंद्र शोभराज वाधवानी, (1962) 1 एस. सी. आर. 573 और यू. पी. स्टेट शुगर कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाम कमल स्वरूप टंडन, (2008) 2 एस. सी. सी. 41 का लाभप्रद संदर्भ दिया जा सकता है। संवैधानिक योजना के तहत उच्च न्यायालयों को नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए विशेषाधिकार रिट जारी करने की योग्यता प्राप्त है। ठीक इसी कारण से, इस न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 226 या 227 के तहत निहित असाधारण शक्तियों को कभी भी ऐसे किसी भी संकीर्ण सिद्धांत को निर्धारित नहीं किया है, जिनके बारे में कहा जा सकता है "बंद, संकीर्ण, और सीमित" [ई. पी. रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य, ए. आई. आर. 1974 एस. सी. 555 में माननीय भगवती, जे. (जैसा कि वे उस समय थे) द्वारा प्रयोग किए गए शब्द को उधार लेने के लिए]। नवाब शकफात अली खान (उपरोक्त) की दलील पर निर्णय लेते हुए, यह उच्च न्यायालय के लिए इस मामले की जांच करने के लिए एक उपयुक्त मामला था, खासकर तब, जब इसमें तथ्यात्मक खदान क्षेत्र को संचालन करना शामिल नहीं था।

51. पूर्वनिर्दिष्ट कारणों से, यह दाण्डिक अपील सफल होती है और स्वीकार की जाती है। नतीजतन, (ए) विवादित निर्णय को खारिज कर दिया जाता है और रद्द कर दिया जाता है, और (बी) जी. एस. एफ. सी. द्वारा दिनांकित 10.04.1996 द्वारा दी गई दोषसिद्धि और सजा को भी रद्द कर दिया जाता है। अपीलकर्ता को अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि से आज तक पूर्ण सेवानिवृत्ति लाभों का हकदार माना जाता है। उसके सभी देय भुगतानों को आज से बारह सप्ताह के भीतर संसाधित और किया जाना चाहिए, भले ही पहले से ही भुगतान की गई राशि (राशि), यदि कोई हो, को समायोजित करने के पश्चात।

52. हर्जाने के संबंध में कोई आदेश नहीं है।

अतिरिक्त निर्देश:

53. पेपरबुक में संलग्न विवादित निर्णय उच्च न्यायालय से प्राप्त एक प्रमाणित प्रति है। यद्यपि इसे पैराग्राफ-वार क्रमांकित नहीं किया गया है।

54. शकुंतला शुकला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 672 में, इस न्यायालय को यह टिप्पणी करने का अवसर मिला:

"35.. निर्णय सुसंगत, व्यवस्थित और तार्किक रूप से व्यवस्थित होना चाहिए।

55. इसी तरह, भारतीय स्टेट बैंक बनाम अजय कुमार सूद, 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1067 में, इस न्यायालय ने राय दी:

"21. सभी निर्णयों के लिए पैराग्राफ संख्या रखना भी उपयोगी है क्योंकि यह संदर्भ में आसानी की अनुमति देता है और संरचना को बढ़ाता है, जिससे निर्णयों की पठनीयता और पहुंच में सुधार होता है। लंबे संस्करण में विषय-सूची पाठक तक पहुँच में सहायता करती है।"

(जोर दिया गया)

56. यह वांछनीय है कि सभी न्यायालय और न्यायाधिकरण, अभ्यास के रूप में, सभी आदेशों और निर्णयों में परिच्छेदों को क्रमबद्ध रूप में, ऊपर दिए गए निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, संख्या दें।

57. विद्वान सेक्रेटरी-जनरल इस निर्णय को सभी उच्च न्यायालयों के विद्वान महानिबंधकों को प्रेषित करेगा, ताकि इसे अनुच्छेद सहित निर्णयों और आदेशों के लिए एक समान प्रारूप को अपनाने पर विचार करने के लिए माननीय मुख्य न्यायाधीशों के समक्ष रखा जा सके। विद्वान मुख्य न्यायाधीश

अपने उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय और न्यायाधिकरणों को भी तदनुसार निर्देश दे सकते हैं।

.....जे.

[कृष्णा मुरारी]

.....जे.

[अहसानुद्दीन अमानुल्लाह]

नई दिल्ली

13 अप्रैल, 2023

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त अनुवाद SUVAS टूल की सहायता से किया गया है।

(जीतेन्द्र सिंह पोखरिया)

अनुभाग अधिकारी

21.08.23